



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092024-256862
CG-DL-E-03092024-256862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3423]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946

No. 3423]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.आ. 3753(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45घ के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45घ के खंड (क) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. 14011/35/2024-दिल्ली-I]

आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.O. 3753(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution read with section 45D of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the President hereby directs that the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the President under clause (a) of section 45D of the said Act for constitution of any authority, board, commission or any statutory body by whatever name it may be called, or for appointment of any Government officer or *ex officio* member to such authority, board, commission or any statutory body.

[F. No. 14011/35/2024-Delhi-I]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Addl. Secy.